भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

Rs. 20000

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

232923

विक्रय–पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	: कृषि
2.	परगना	: लखनऊ
3.	ग्राम	: [illegible]
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं०)	: भूमि खसरा संख्या–797
5.	मापन की इकाई	: हेक्टेयर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	: 0.368 हेक्टेयर

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रु.20000रु. INDIA NON JUDICIAL रु.20000रु.

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

7.	सम्पत्ति का प्रकार	:	कृषि
8.	पेड़ों का मूल्यांकन	:	नहीं
9.	बोरिंग/कुआं/अन्य	:	नहीं
10.	प्रतिफल की धनराशि	:	रु0 8,20,287/-
11.	मालियत	:	रु0 6,45,750/-
12.	स्टाम्प	:	रु0 82,100/-

चौहद्दी

खसरा नं0 797

पूरब	: चकरोड
पश्चिम	: खसरा संख्या-808
उत्तर	: खसरा संख्या-796
दक्षिण	: खसरा संख्या-798

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

Rs.20000 INDIA NON JUDICIAL Rs.20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

232523

प्रथम पक्ष की संख्या–01		द्वितीय पक्ष की संख्या–01
विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
दुलारे पुत्र जोखी, निवासी–ग्राम अहमामऊ परगना, तहसील व जिला लखनऊ व्यवसाय – कृषि	:	बुद्धी लाल पुत्र शिवदास निवासी–मिर्जापुर, मिरारी, पोस्ट–नवगांव, जिला–फतेहपुर, उ0प्र0 व्यवसाय – कृषि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

...265416

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख दुलारे पुत्र चोखी, निवासी–ग्राम अहमामऊ परगना, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है, एवम् बुद्धी लाल पुत्र शिवदास निवासी–मिर्जापुर, सिठारी, पोस्ट–नवगांव, जिला–फतेहपुर, उ0प्र0 जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या–797 रकबा 0.369 हेक्टेअर, स्थित–ग्राम– अहमामऊ परगना, तहसील व जिला

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

285419

लखनऊ, की मालिक, काबिज व काबिज हैं तथा उपरोक्त सत्यापित पंचवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 101 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है, उक्त भूमि विक्रेता को विरासत में मिली है विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी जोर जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिज व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 265420

कि विक्रेता यह घोषित करती है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को अतः विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 285670

प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रुपया 8,20,287/- (रुपया आठ लाख बीस हजार दो सौ सतासी मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करता है, तदनुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को बजाई बेच दिया है,

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 100169

एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेगे। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 100170

बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि बिक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जावे तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH C 937042

वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख से पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम अहमामऊ अर्धनगरीय क्षेत्र के अति विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रू0 17,50,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.369 हेक्टेयर की मालियत रू0 6,45,750/- होता है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 82,100/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई पेड़, कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

खसरा संख्या–797 रकबा 0.369 हेक्टेयर, स्थित ग्राम– अहमामऊ परगना, तहसील व जिला लखनऊ।

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

1. विक्रेता ने रु0 5,00,000/– (रुपया पाँच लाख मात्र) द्वारा चेक संख्या–402658 दिनांकित 20.12.2006 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा हजरतगंज, लखनऊ, क्रेता से प्राप्त किये।

2. विक्रेता ने रु0 3,20,287/– (रुपया तीन लाख बीस हजार दो सौ सत्तासी मात्र) द्वारा चेक संख्या–402659 दिनांकित 20.12.2006 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा हजरतगंज, लखनऊ, क्रेता से प्राप्त किये।

कुल विक्रय मूल्य रु0 8,20,287/– (रुपया दो लाख पैंतिस हजार छः सौ अड़तिस मात्र) विक्रेता ने क्रेता से द्वारा चेक संख्या–397283 दिनांकित 11.12.2006 पंजाब नेशनल बैंक,

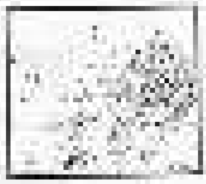

ओ.पी. सिंह
उप निबंधक (द्वितीय)
लखनऊ

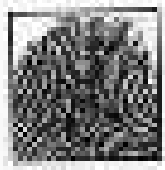

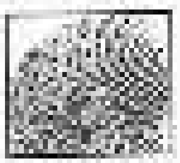

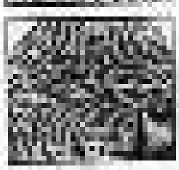

ओ.पी. सिंह
उप निबंधक (द्वितीय)
लखनऊ
22/12/2008

शाखा इन्दिरानगर, लखनऊ, प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करता है।

लखनऊ

दिनांक: 20.12.2006

गवाह

1. [illegible] Sunil Kumar Singh S/o Sri G.C. Singh [illegible] LKO

2. श्री [illegible]

विक्रेता

क्रेता

टाईपकर्ता
(राम सनेही)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता
(सैय्यद अनवर हुसैन)
एडवोकेट

[illegible]

Registration No : 11527 Year : 2023 Book No : 1

0101 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

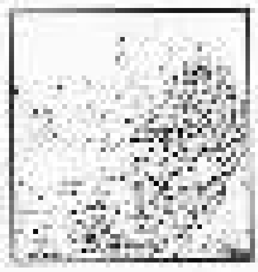

रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए. के अनुपालन हेतु

फिंगर प्रिन्ट्स

क्रेता / विक्रेता का नाम व पता [illegible]

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

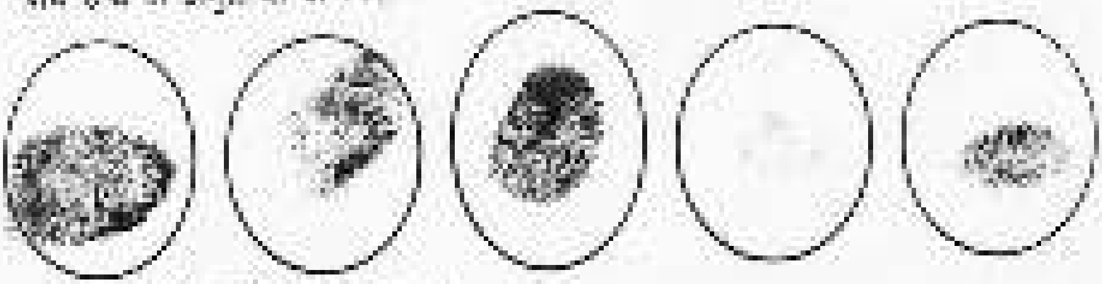

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

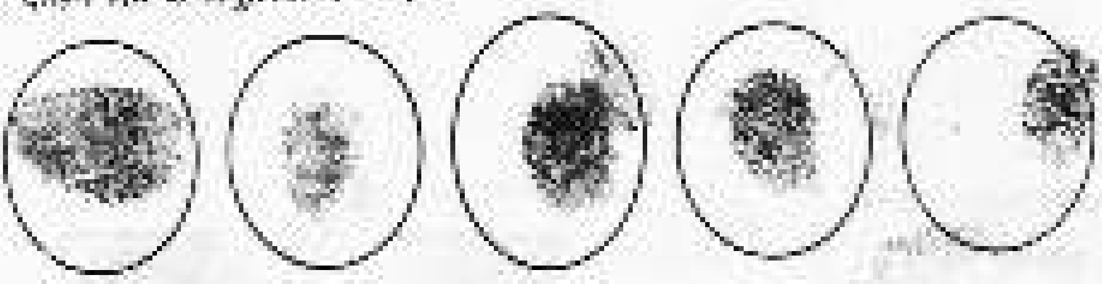

हस्ताक्षर / निशानी अंगूठा क्रेता

विक्रेता / क्रेता का नाम व पता [illegible]

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

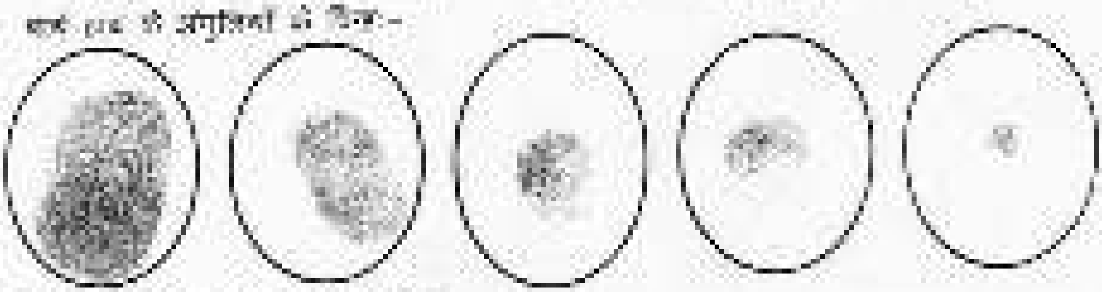

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

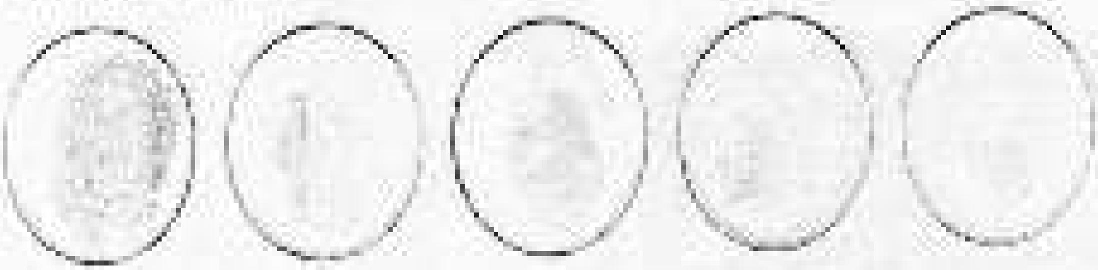

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर [illegible]

[illegible]

Registration No.: 11827 Year: 2016 Book No.: 1

2201 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

नक्शा नजरी

ग्राम :

खसरा संख्या:

विक्रेता :

क्रेता :

विक्रीत सम्पत्ति के निकट स्थित समस्त सम्पत्तियों का विवरण

आज दिनांक 30/12/2006 को

बही सं 1 जिल्द सं 6268

पृष्ठ सं 229 से 258 पर क्रमांक 11827

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

ओ.पी सिंह

उप निबन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

30/12/2006